<u>मूल हिंदी में</u>

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 782
05.02.2021 को उत्तर के लिए

पर्यावरण संरक्षण हेतु सीएसआर निधि

782. श्रीमती गोमती साय:

क्या **पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व तय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रासंगिक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) : सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तय नहीं किया है। तथापि, सरकार ने दिनांक 01 मई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन और 30 सितंबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व (सीईआर) हेतु अलग से धनराशि निर्धारित की है। इन कार्यालय ज्ञापनों में अन्य बातों के साथ-साथ, कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व के रूप में सार्वजनिक परामर्श के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाने वाली प्रतिबद्धताओं और ईएमपी में तथा ईएसी/एसईआईएए के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्ध की गईं उपमशन योजनाओं को निर्धारित करने हेतु, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय स्तर पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों और राज्य को नीतिगत कार्य-ढांचा प्रदान किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलापों को परियोजना के आस-पास के प्रभावित क्षेत्र तक सीमित किया जाएगा तथा सीईआर के अंतर्गत प्रस्तावित समस्त कार्यकलापों को परियोजना के रूप में समझा जाएगा और उसकी निगरानी की जाएगी।

*****